

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/ /2022:: लखनऊ::दिनांक::अक्टूबर 03, 2022

--आदेश--

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-फैजाबाद द्वारा अपने पत्रांक-343/2022 दिनांक 16.09.2022 द्वारा मतान्तर के फलस्वरूप प्रेषित धारा-31 प्रा0पत्र से संबधित 08 पत्रावलियों एवं की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.11.2022 से दिनांक 30.11.2022 तक मुख्यालय पर गठित पूर्ण पीठ में नियमानुसार अधोअंकित पत्रावलियां मूल अभिलेखों सहित निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्रं0सं0	अपील सं0	व्यापारी का नाम व पता	क0नि0वर्ष
1	वि0 29/22	स/ब शकुन्तला वर्मा ईट भट्ठा भीटी अम्बेडकरनगर।	10-11 धारा-28(2)
2.	वि0 32/22	स/ब शकुन्तला वर्मा ईट भट्ठा भीटी अम्बेडकरनगर।	10-11 धारा-28(2)
3.	वि0 30/22	स/ब शकुन्तला वर्मा ईट भट्ठा भीटी अम्बेडकरनगर।	10-11 धारा-9(4)
4.	वि0 31/22	स/ब शकुन्तला वर्मा ईट भट्ठा भीटी अम्बेडकरनगर।	10-11 धारा-9(4)
5.	वि0 33/22	स/ब शकुन्तला वर्मा ईट भट्ठा भीटी अम्बेडकरनगर।	11-12 धारा-28(2)
6.	वि0 36/22	स/ब शकुन्तला वर्मा ईट भट्ठा भीटी अम्बेडकरनगर।	11-12 धारा-28(2)
7.	वि0 34/22	स/ब शकुन्तला वर्मा ईट भट्ठा भीटी अम्बेडकरनगर।	11-12 धारा-9(4)
8.	वि0 35/22	स/ब शकुन्तला वर्मा ईट भट्ठा भीटी अम्बेडकरनगर।	11-12 धारा-9(4)

तदनुसार आवश्यक प्रविष्टि संबधित पंजिकाओं एवं न्यायालय कार्य विवरण पत्र पर की जायें।

ह0/03.10.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/ /2022, दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-फैजाबाद।

3-डि0 कमि0/रा0प्रति0 पूर्ण पीठ लखनऊ।

4-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।

✓5-वेब अधिकारी मुख्यालय।

6-अहलमद, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ की उक्त पत्रावलियों की प्रविष्टि पंजिका में सुनिश्चित करते हुये सुनवाई हेतु पूर्ण पीठ में नियत करें।

आज्ञा से,



निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।